



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
प्रकरण क्रमांक / 12 रेस्टोरेशन

M-471-I/2012

महावीर पुत्र रामनारायण जाति मीणरा निवासी  
ग्राम रन्नौद परगना एवं जिला श्योपुर (म.प्र.)

-- अपीलांट

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर (म.प्र.)

-- रेस्पोंडेन्ट

आवेदन वास्ते रेस्टोरेशन निगरानी क्रमांक आर-1348-11/10 जो  
दिनांक 7/12/2011 को अदम पैरवी में निरस्त हुई जिसकी  
सूचना दिनांक 26/02/123 को प्राप्त हुई ।

माननीय महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, उपरोक्त निगरानी दिनांक 7/12/2011 को प्रारंभिक सुनवाई में निरस्त थी ।
- 2- यह कि, उक्त तारीख सहवन डायरी में लिखने से रह गई इस कारण प्रार्थी अभिभाषक तारीख पर उपस्थित न हो सके ।
- 3- यह कि, उक्त कारण से निगरानी अदम पैरवी में निरस्त हो गई ।
- 4- यह कि, उक्त त्रुटि सदभावना पर आधारित है और निगरानी पुनः सुनवाई में लिया जाना न्यायोचित है ।


अतः निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी मेरिटस पर सुनवाई हेतु नम्बर पर लेने की कृपा करें ।

इति दिनांक - 28/02/2012

प्रार्थी



महावीर

द्वारा अभिभाषक




क्रमांक: 4/12 शपोपुर

740  
रखाए

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-11-15	<p>आदेशक अधि. श्री कुपरविट            कुशवाह उप. / प्रमा. शासन के शा. 1            अधि. उपोचित )            उपपक्ष के रक. अवन            किए जाये ।            प्रमाण के अन्वये कि            प्रमाण पुनः स्थापित किए जाने हेतु            प्रमाण आधार होने से न्याय हेतु            दि. क्र. R. 1348-2/10 पुनः स्थापित            किए जाने का आदेश दिया जाये ।            प्रमाण प्रमाण प्रमाण ।</p>	<p>            17/11/15            17-11-15  </p>

for

  
 सरल